

केद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR

सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ेक्ष Fax:079-27545021



स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी दवारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/315/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No	04/ RTI/2021-2022
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री बिपिन कुमार शर्मा/ Shri Bipin Kumar Sharma, सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, Central Public Information Officer, सहायक आयुक्त/ Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर Central GST & Central Excise(H.Q) Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	02.07.2021
ਤ E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	डॉ रमेश गरवा, "बाबरी कृपा "103-106/5 सर्जन कांसा सोसाइटी, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, भुज-कच्छ गुजरात 370001 Dr. Ramesh Garva, "BABERI KRUPA"103-106/5, Sarjan Casa Society, Nr.Govt.Engineering College, Bhuj-Kachchh. (Gujarat)-370001,

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःश्ल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन राव, अपर आयुक्त, केद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर 2री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao, Addl. Commissioner, Central

GST & Central Excise, Gandhinagar, 2nd floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है ।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश

डॉ रमेश गरवा, "बाबरी कृपा "103-106/5 सर्जन कांसा सोसाइटी, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, भुज-कच्छ गुजरात पिनकोड- 370001 द्वारा दिनांक 30.04.2021 को अपना आरटीआई आवेदन पत्र दाखिल किया है। यह आवेदन प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद जोन, जी.एस.टी भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाड़ी,अहमदाबाद-380015 को प्रेषित किया गया है। उक्त आवेदन पत्र फ़ासं. GCCO/RTI/APP/357/2021-Tech दिनांक 06.05.2021, संयुक्त आयुक्त, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय जी.एस.टी अहमदाबाद जोन से सहायक आयुक्त(सीपीआईओ), केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई), 2005 की धारा 6(3) के तहत दिनांक 20.05.2021 को प्राप्त हआ है।

Dr. Ramesh Garva, "Baberi Krupa" 103-106/5, Sarjan Casa Society, Hirani Park-1 Nr. Govt. Engineering college, Bhuj-Kachahh, Gujarat Pin code-370001 has filed an RTI application dated 30.04.2021. The said application was forwarded to the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015.

The said application was forwarded to this office vide letter F.No.GCCO/RTI/APP/ 357/2021-Tech dated 06.05.2021 of the Joint Commissioner, Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone. The said application was received in this office as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005. The application was received in this office on 20.05.2021.

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है।

File No.GEXCOM/RTI/APP/315/2021-TECH-O/o COMMR-CGST-GANDHINAGAR

In this regards, the required information pertaining to H.Q. office is as follows:-

In this connection, it is to submit that as per the section 8 (h) of RTI Act, 2005, this office cannot provide the detailed asked for at para no.06,08,10,14,15 and 16 of the above said application, as the cases are under investigation & providing information of such cases can impede the investigation. For remaining paras, the information does not pertain to this office.

त्वरित डाक/रजिस्टर ऐ डी द्वारा By Speed Post/Regd. AD केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी , Central Public Information Officer, केवसेक व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर CGST & Central Excise, Gandhinagar

सेवा में To, डॉ रमेश गरवा, "बाबरीकृपा"103-106/5 सर्जन कांसा सोसाइटी, हिरानी पार्क-1 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, भुज-कच्छ गुजरात पिनकोड- 370001

प्रतिलिपि:-

- 1.संयुक्त/उप आयुक्त (सीपीआईओ) (केन्द्रीय लोक सूचना का अधिकार), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय की फ़ासं. GCCO/RTI/APP/357/2021-Tech दि. 03.05.2021 के संदर्भ में जानकारी हेत् |
- 2. सहायक आयुक्त, (प्रणाली) केंद्रीय वस्तु सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए